Government of Bihar
Disaster Management Department

Notification

No.- 01/Pra.Aa(PFMS)-13/2020-2127/DM **Patna-23, Dated-23-06-25**

notification pursuant to section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the **Disaster Management Department** in the Government of **Bihar** is administering **br Grants-in Aids for State Disaster Response Fund (BR-85)& Tatkal Sahayta AnudaanYojna (BR-143):**

And whereas **a sum of Rs 3500/- (Rs Three Thousand Five Hundred Only) is disbursed through Direct Benefit Transfer (DBT) under the condition of affected scanty rainfall prone districts and a sum of Rs 7000/ - (Rs Seven Thousand Only) under the condition of flood affected districts** is given to the **head member of the affected families by the department** under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas the said **Disaster Management Department** is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Government of **Bihar** hereby notifies the following, namely: —

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number.

   (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

   Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said **Disaster Management Department** shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said **Disaster Management Department** for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the data base of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and

(b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely: —

(i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary.

(ii) Indian passport.

(iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class, or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education.

(iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely: —

(i) Ration card.

(ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar.

(iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member.

(iv) Indian passport.

(v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class, or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education.

(vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(vii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(viii) Any other document as the said **Disaster Management Department** may specify.

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India.

(ii) Ration card.

(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar.

(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member.

(v) Indian passport.

(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class, or higher secondary or 12^{th} class, issued by a recognised board of school education.

(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise.

(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India.

(ix) Driving licence issued in India:

(x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xii) Any other document as the said **Disaster Management Department** may specify:

(4) An officer designated by the said **Disaster Management Department** in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3), —

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on my Aadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid, and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority

that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan-based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —

   (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered.

   (b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

      (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number)or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

      (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Not with standing anything contained here in above:-

   (a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—

      (i) in case of failure to establish his identity by under going authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the **Disaster Management Department**.

5. In order to ensure that *bonafide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the **Disaster Management Department** shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By order of the Governor of Bihar

Pratyaya Amrit
(Additional Chief Secretary)

Memo: -No.- 01/Pra.Aa(PFMS)-13/2020 2127/DM Patna-23, Dated. 23-06-25

Copy to: -Incharge Officer, E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna sent for Publication in the Bihar Gazette.

(Additional Chief Secretary)

Memo: -No.- 01/Pra.Aa(PFMS)-13/2020 2127/DM Patna-23, Dated. 23-06-25

Copy to: -Accountant General (A&E), Bihar, Virchand Chand Patel Path, Patna for information.

(Additional Chief Secretary)

Memo: -No.- 01/Pra.Aa(PFMS)-13/2020 2127/DM Patna-23, Dated. 23-06-25

Copy to:- Director (DBT), Cabinet Secretariat (DBT Mission), Government of India/ Director, Unique Identification Authority of India (Authentication and Verification Division), Bangal Sahib Road, Behind Kali Mandir, Gole Market, New Delhi, Email-dir2.auth-hq@uidai.net.in for information.

(Additional Chief Secretary)

Memo: -No.- 01/Pra.Aa(PFMS)-13/2020 2127/DM Patna-23, Dated. 23-06-25

Copy to: -Deputy Secretary, Finance Department, Bihar, Patna/ All Divisional Commissioner, Bihar/All District Magistrate, Bihar for information.

(Additional Chief Secretary)

Memo: -No.- 01/Pra.Aa(PFMS)-13/2020 2127/DM Patna-23, Dated. 23-06-25

Copy to: -Private Secretary to Hon'ble Minister/ PPS of ACS/ It Manager of Disaster Management Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Additional Chief Secretary)

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या–01 / प्रा0आ0(PFMS)–13 / 2020 / 2127 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–23-06-25

आधार (लक्षित वितरण वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार।

जबकि सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा लाभार्थी को अपनी पहचान की पुष्टि करने हेतु कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर सुविधाजनक और निर्बाद्ध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और जबकि **आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार** सरकार **br Grants-in Aids for State Disaster Response Fund (BR-85) & Tatkal Sahayta Anudaan Yojana (BR-143)** का प्रबंधन कर रहा है:

और विभाग द्वारा अल्प वर्षापात प्रभावी जिलों की स्थिति के तहत प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹3500/– (तीन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि वितरित की जाती है और विभाग द्वारा चिन्हित किए गए बाढ़ प्रभावित जिलों के पिड़ित परिवारों के मुखिया को उक्त योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के तहत ₹7000/– (सात हजार रूपये) मात्र की राशि दी जाती है।

और **आपदा प्रबंधन विभाग** इच्छुक है कि उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुजरे या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे।

अतः आधार (लक्षित वितरण वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुपालन में, **बिहार** सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) उक्त योजना के तहत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

   (2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा ;
   बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता–पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से किया जाएगा;

   (3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार **आपदा प्रबंधन विभाग** ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा ;

E:\Draft 2025\Hindi Aadhaar Notification Main 21.04.2025 nadeem sir.docx

बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, अथवा यदि **आपदा प्रबंधन विभाग** द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की विषय–वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना को उनकी तैयारी या रखरखाव से संबंधित प्राधिकारियों के डाटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थातः–

18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के लिए, जिसे आधार संख्या नहीं दी गई हैः

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने की पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) शामिल है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, अर्थात:–

(i) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से निकाला गया हो ;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानून से संघर्षरत बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत उसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(ग) लाभार्थी की तस्वीर वाला निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जो उसके माता–पिता या कानूनी अभिभावक के साथ उसके रिश्ते को प्रमाणित करता हो, अर्थात:–

(i) राशन कार्ड;

(ii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा

या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण;

(vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानून से संघर्षरत बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत बाल देखभाल संस्था द्वारा रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(vii) किसी लाभार्थी के संबंध में जिसके पास कानूनी अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या कानूनी अभिभावकत्व को प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(viii) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि **आपदा प्रबंधन विभाग** में निर्दिष्ट किया गया हो।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए, जिन्हें आधार संख्या नहीं दी गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने की पावती, जिसमें ईआईडी शामिल है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात:–

(i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण;

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानून के साथ संघर्षरत बच्चे के संबंध में, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत इसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास कानूनी अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या कानूनी अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(xii) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि **आपदा प्रबंधन विभाग** निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) इस संबंध में **आपदा प्रबंधन विभाग** द्वारा नामित एक अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों या खंड(3) के तहत उनकी सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी के संबंध में जाँच करेगा:-

(क)मेरे आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करने के लिए कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) अन्य दस्तावेज, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी इकाई या ऐसे प्राधिकरण की सहायता ले सकते हैं और प्रस्तुत जानकारी को उनके साथ साझा कर सकते हैं जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित हैं।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों का आसानी से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, विभाग उक्त योजना के तहत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जहां लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:–

(a) यदि प्रमाणीकरण की कोई विशेष बायोमेट्रिक आधारित विधि सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन–टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण की कोई अन्य विधि, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश की जाएगी;

(b) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक–आधारित या ओटीपी–आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के तहत लाभ, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर)

कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (यानी आधार संख्या धारक को उसके आधार नंबर के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई–आधार (यानी यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड–संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ) शामिल है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ है), इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित आवेदन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के बाद।

4. उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी:-

(a) उक्त योजना के तहत लाभ से किसी बच्चे को इनकार नहीं किया जाएगा–
   (i) प्रमाणीकरण से गुजरने या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने की स्थिति में; या
   (ii) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में जबकि उसे आधार संख्या नहीं दी गई है; या

(b) उक्त योजना के तहत लाभ ऐसे बच्चे को उसकी पहचान सत्यापित करके और उसके माता–पिता या कानूनी अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके पैराग्राफ 1 के खंड (3) के प्रावधान में निर्दिष्ट तरीके से दिया जाएगा; और

(c) जहां खंड (ख) के तहत लाभ दिया जाता है, उसके संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखापरीक्षा समय–समय पर की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, **आपदा प्रबंधन विभाग** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी–26011/04/2017–डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेंगे।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रत्यय अमृत
अपर मुख्य सचिव

E:\Draft 2025\Hindi Aadhaar Notification Main 21.04.2025 nadeem sir.docx

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(PFMS)–13 / 2020 /2127/ आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–23-06-25

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(PFMS)–13 / 2020 /2127/ आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–23-06-025

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(PFMS)–13 / 2020 /2127/ आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–23-06-25

प्रतिलिपि–निदेशक (डीबीटी), कैबिनेट सचिवालय (डीबीटी मिशन) भारत सरकार/ निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रभाग), बंगाल साहिब रोड, काली मंदिर के पीछे, गोल मार्केट, नई दिल्ली, ईमेल–dir2.auth-hq@uidai.net.in को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(PFMS)–13 / 2020 /2127/ आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–23-06-25

प्रतिलिपि–उपसचिव वित्त विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0(PFMS)–13 / 2020 /2127/ आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–23-06-25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव